राजस्थान के स्कूलों में अनुच्छेद 370 के निरसन का उत्सव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग** ने चालू शैक्षणिक वर्ष में [वीर सावरकर जयंती](#) और [अनुच्छेद 370 के निरसन का उत्सव](#) मनाने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- **28 मई को स्कूलों में वीर सावरकर जयंती** का उत्सव मनाया जाएगा और **5 अगस्त को** जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरसित किये जाने के उपलक्ष्य में **स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस** मनाया जाएगा
- अन्य उल्लेखनीय दिवसों में **23 जनवरी को** [सुभाष चंद्र बोस दिवस](#)**,** जिसे **देश प्रेम दिवस** भी कहा जाता है, **14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस** और **4 फरवरी को सूर्य नमस्कार दिवस** शामिल हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370

- **परिचय:** 17 अक्तूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 को एक **'अस्थायी उपबंध' (Temporary Provision)** के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष छूट प्रदान की थी, इसे अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को नियंत्रित रखा गया था।
    - इसे एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 306A के रूप में पेश किया गया था।
    - **अनुच्छेद 370** के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा को यह अनुशंसा करने का अधिकार दिया गया था कि भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद राज्य पर लागू होंगे।
    - राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद जम्मू-कश्मीर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। **अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा भारत के राष्ट्रपति को इसके उपबंधों और दायरे में संशोधन कर सकने की शक्ति प्रदान की गई थी।**
- [अनुच्छेद 35A](#) **अनुच्छेद 370 से व्युत्पन्न हुआ** था जिसे इसे जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की अनुशंसा पर वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश (Presidential Order) के माध्यम से पेश किया गया था।
- अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों तथा विशेषाधिकारों (special rights and privileges) को परिभाषित करने का अधिकार देता था।
- 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019' जारी किया। इसके माध्यम से भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में संशोधन किया (उल्लेखनीय है कि इसका प्रतिसंहरण नहीं किया)।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-schools-to-commemorate-aticle-370-abrogation